रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 1981/भाद्र 18, 1903
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 9, 1981/BHADRA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आईटीसीपीएन/81

नई दिल्ली, 9 सितम्बर 1981

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय — भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1981 के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें

(सिविल संख्या 23/18/81/आई पी सी—भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1981 के अन्तर्गत माल और सेवाओं के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तें जैसी इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

स्वीडिस सहायता 1981 के
अधीन
लाइसेंस शर्तें

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

आमुख

भारत-स्वीडन विकास समझौता 1981 के अन्तर्गत स्वीडन की सहायता दो खण्ड से युक्त है -(1) सामान्य आयात और (2) स्वीडन से आयात। प्रथम खण्ड के मामले में प्रतियोगी विश्वव्यापी निविदा के आधार पर आयात विश्व में कहीं से भी किए जा सकते हैं, परन्तु, द्वितीय खण्ड के मामले में आयात केवल स्वीडन से किए जा सकते हैं, अर्थात् माल का स्वीडन में विनिर्मित होना आवश्यक है।

आयात लाइसेंस

आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर सविदा करने के लिए 4 महीने की और पोत लदान एवं भुगतान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किए जाएंगे। सभी पोत लदान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से एक महीने के भीतर अवश्य पूर्ण करने चाहिए।

2 प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्षक "भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1981 सामान्य आयात" अथवा "भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1981 स्वीडन से आयात' जैसा भी मामला हो, होगा। लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में प्रत्यय "आर० /एस० डब्ल्यू" होगे। ये प्रत्यय आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

3 आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा सम्भाव्य तिथि जिस तक सविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तत्व से वित्तीय कार्य विभाग (डब्ल्यू आई ए अनुभाग) को सूचित करना चाहिए।

4 जब तक नीचे के पैरा 21 में यथानिर्दिष्ट 4 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण सविदा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब

तक संविदा करने से सम्बन्धित शर्त का पालन किया गया नहीं माना जाएगा ।

5. यदि, इस शर्त का पालन 4 महीने के भीतर नहीं किया जाएगा तो आयात लाइसेंस अवैध हो गया समझा जाएगा ।

6. लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्त का पालन न करने के कारण देते हुए एक आवेदन पत्र देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है । पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर विचार किया जाए और लाइसेंस संविदा के लिए अधिक से अधिक अगले चार महीनों की अवधि के लिए पुनर्वैध किया जाएगा । इस अवधि से आगे किसी प्रकार का पुनर्वैधीकरण कराने के लिए वित्तीय कार्य विभाग (वाई० ए० अनुभाग) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

संविदा करना

7. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और विदेशी संभरक द्वारा उस आदेश का स्पष्ट शब्दों में स्वीकृति पत्र हो सकता है । समुद्रपार संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के लिए आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा आदेश का पुष्टिकरण स्वीकार्य नहीं है ।

8. दो पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार-बार संशोधित/परिशोधित करने से सम्बन्धित पत्र व्यवहार के अनुक्रम से समाविष्ट संविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में, दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत शर्तों सहित और हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है ।

9. सामान्यतः पक्की कीमतों के आधार पर लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए विदेशी संभरक के साथ एक संविदा की जानी है । लेकिन, विशेष कारणों से यदि एक से अधिक संविदा करना आवश्यक हो जाता है तो इसके लिए कारण देते हुए वित्तीय कार्य विभाग की पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए ।

संविदा की शर्तें

सामान्य

10. निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे लागत-बीमा- भाड़े या लागत और भाड़े के आधार पर संविदा करें। उन्हें चाहिए कि वे जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य बीमा प्रभार एवं भाड़े को अलग-अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें ।

संविदा सरकारी अभिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा केवल लागत और भाड़ा के आधार पर ही होनी चाहिए ।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर कोई संविदा करने का इच्छुक है, तो पार्टी को ऐसा करने के लिए कारण देते हुए वित्तीय कार्य विभाग (वाई० ए० अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन मांगना चाहिए ।

11. यदि विदेशी संभरक के भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाना है, तो उसे संविदा के मूल्य से अलग दिखाया जाएगा । भारतीय एजेंट का कमीशन भारतीय रुपए में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति समंजित किया जाएगा ।

12. संविदा का मूल्य उसी मुद्रा में व्यक्त होना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान किया जाना है । इन धनराशियों का रुपए में परिवर्तन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड 15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को परिचालित मुद्रा विनिमय की दरों पर किया जाएगा ।

संविदा का मूल्य सीमाएं

13 प्रत्येक संविदा का मूल्य 75 हजार रुपए के बराबर की धनराशि से कम नहीं होना चाहिए ।

माल का उद्गम स्थान

14 (1) प्रथम खंड अर्थात् आमुख में उल्लिखित सामान्य आयात खण्ड के मामलें में, किसी भी देश से बिना प्रतिबन्ध के आयात किए जा सकते हैं और ये आयात जहां तक साध्य हो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर होने चाहिए ।

(2) आमुख में उल्लिखित द्वितीय खण्ड अर्थात् स्वीडन से आयात के अधीन माल स्वीडन में विनिर्मित होना चाहिए या दी जाने वाली सेवाएं स्वीडन मूल की होनी चाहिए माल के स्वीडन में विनिर्मित होने के सम्बन्ध में या स्वीडन मूल की सेवाओं के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध संलग्न किया जाएगा ।

(3) लाइसेंस धारी को नीचे के पैरा 21 (3) में उल्लिखित संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय प्राप्त की गई बोलियों और विशेष संभरक तथा माल का चुनाव करने के लिए कारणों का एक विवरण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

पोतलदान

15. जहां तक सम्भव हो, प्रत्येक ऐसे वितरण पोत लदान के महीने को संकेतिक करते हुए संविदा में वितरण / पोत परिवहन सम्बन्धी अनुसूचियां विशिष्ट शब्दों में होनी चाहिए ।

पोत लदान अनुसूची में बाद में होने वाला किसी व्यतिक्रम से तुरन्त वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, वाई० ए० अनुभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को सूचित करना चाहिए ।

भुगतान की शर्तें

16. स्वीडन क्रेडिट में विलम्बित भुगतानों की व्यवस्था नहीं है । इस लिए, विदेशी संभरकों को पोतलदानों के लिए नकद में पूर्ण भुगतान निम्नलिखित कडिकाओं में यथा निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

अग्रिम भुगतान

17. संभरकों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान संविदा लागू होने के समय प्रदान किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की चूक होने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (वाई० ए० अनुभाग) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ।

अन्य भुगतान

18. उपयुक्त भुगतानों के बाद शेष धनराशि प्रत्येक पोत लदान के माल के मूल्य के अनुसार पोत परिवहन अनुसूची के आधार पर तथा अनुपात में देय होगी ।

19. यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भुगतान की शर्तों अर्थात् संविदा प्रभावी होने पर देय धनराशि और यह कि पोत लदानों आदि के लिए देय धनराशि संविदा में यथार्थ शब्दों में विस्तार के साथ वितरणों / भुगतानों आदि की अनुसूचियां प्रदर्शित करते हुए निर्दिष्ट की गई है ।

प्रथागत गारन्टी

20 समझौते में जो प्रथागत गारन्टी (यां) आयातक के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो उनके लिए वह प्रबन्ध और व्यवस्था कर सकता है ।

प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित संविदा प्रलेखों के ब्यौरे

21. संविदा में तय किए जाने के 20 दिनों के भीतर ही आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग (आइ ए अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए ।

(1) अंग्रेजी भाषा में विधिवत् निर्धारित और भारतीय आयातक तथा विदेशी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की और आगे होने वाले किसी प्रकार के संशोधन की चार प्रमाणित प्रतियां ।

(2) संविदा के निष्पादन / आयातक द्वारा दिए गए आवेश को विदेशी संभरक की गई स्वीकृत तिथि को संविदा करने के लिए वैध आयात लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण) की दो फोटो-स्टेट प्रतियां ।

(3) सामान्य आयात खण्ड के मामले में उपर्युक्त पैरा 14 (3) में वर्जित बोलियों का विवरण पत्र ।

(4) दो प्रतियों में अनुबन्ध -1 में निर्धारित अन्य ब्यौरे ।

संविदा पर आगे कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जब कि आयातक द्वारा ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

प्राधिकार-पत्र

22. यदि संविदा पूर्ण है, दस्तावेज आदि सही हैं, आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध है और भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1981 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो वित्त मंत्रालय अनुबन्ध -2 जैसा एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

भुगतानों के तरीके

23 (1) विदेशी संभरकों को भुगतानों की व्यवस्था साख पत्र स्थापित कर के सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम के आधार पर की जाएगी ।

(2) भारतीय आयातक केवल तब साखपत्र स्थापित करेगा जब कि पिछले पैरा में उल्लिखित प्राधिकार पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया हो और यह साखपत्र सर्वथा ऐसे प्राधिकार पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार होगा ।

(3) विदेशी मुद्रा विनिमय का प्राधिकृत व्यापारी भारतीय बैंकर किसी भारतीय आयातक को साखपत्र स्थापित करने के लिए तब तक सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा जब तक उसे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से एक प्राधिकार पत्र सीधे ही प्राप्त न हो गया हो और भारतीय बैंकर केवल ऐसे प्राधिकार पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार ही ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा या धन परेषणों को अनुमति देगा ।

24. उस विदेशी बैंक का जिसके साथ साखपत्र स्थापित किया गया है यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह अपरक्राम्य बीजकों / पौत परिवहन दस्तावेजों का एक सेट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ठीक उसी समय भेजेगा जिस समय वह ऐसे दस्तावेज उस भारतीय बैंकर को भेजता है जिसने साखपत्र खोला है । भारतीय बैंकर के लिए सम्बन्ध में उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले साख-पत्र में एक शर्त शामिल करना आवश्यक है । तथ्य यह है कि इस प्रकार अपरक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेजों के भेजे गए सेट की विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंकर को भेजे गए व्याख्यात्मक पत्र में लिखा जा एगा बाद वाला (भारतीय बैंकर) दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करने से पहले इस बात की विशेष रूप से जांच करेगा ।

25 (1) भुगतानों की व्यवस्था करते समय भारतीय आयातक फार्म "ए-1"* की एक अतिरिक्त प्रति भरेगा जो उसके बैंक द्वारा भुगतान होते ही आयातक को सूचना देते हुए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग नई दिल्ली को भेजी जाएगी । वह पत्र जिसके साथ प्रपत्र "ए-1" साथ ही साथ प्रपत्र "ए-1' भेजे जाएंगे उसमें क्रेडिट एवं सेगमेन्ट का संकेत होना चाहिए जिसके अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी किया गया था ।

(2) भारतीय आयात और भारतीय बैंकर दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित सूचना, सही पूर्ण और विशिष्ट शब्दों में सम्बन्धित कालमों के सामने दी गई है ।

(3) आगे फार्म "ए-1" पर भारतीय बैंकर के प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी इसके कार्यालय की मोहर के साथ होंगे ।

टिप्पणी:— इन अवस्थाओं में यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी का अपना उत्तरदायित्व से निहित नहीं है कि सभी फार्म "ए-1" उसके बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को तुरन्त भेजे गए है ।

धन-वापसी

26. यदि विदेशी संभरक या बीमाकर्ता से भारतीय आयातकों द्वारा कोई धन वापसी प्राप्त की जाती है तो सम्बन्धित ब्यौरों के साथ प्राप्त की गई धनराशियों को प्रदर्शित करते हुए एक पूर्ण रिपोर्ट अनुबंध 3 में दिए गए प्रपत्र में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

*रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा धन परेषणों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र का प्रपत्र ।

भारतीय आयातकों द्वारा वास्तविक भुगतानों की रिपोर्ट भेजना

27. जब और जैसे ही भारतीय आयातकों द्वारा समुद्रपार संभरकों को अलग-अलग संविदाओं के मद्दे वास्तविक भुगतान कर दिए जाते हैं तो उसे निरपवाद रूप से इसकी रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । भुगतानो की रिपोर्ट भेजते समय आयातक को चाहिए कि वे भेज दी गई / भेजी जा रही प्रत्येक संविदा के मद्दे आयातित उपकरण के उद्देश्यों का संक्षेप में संकेत भी करें । ये रिपोर्ट वास्तविक भुगतान हो जाने के एक सप्ताह के भीतर ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दी जानी चाहिए ।

विविध

28. लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का उपयोग उचित उद्योगशीलता और क्षमता के साथ होना चाहिए । लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का प्राप्ति की तिथि से कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए आयात (1) ऐसे माल की पहचान के लिए आवश्यक और उसके उपयोग का सभी सम्बन्धित रिकार्ड रखेगा, (2) क्रेडिट की रकम के खर्च से सम्बन्धित और ऐसी रकमों से प्राप्त माल और सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी सूचना भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण उत्पन्न करेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगा जाए और (3) भारत सरकार के प्रतिनिधियों और स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे माल और सेवाओं के उपयोग का अध्ययन कराएगा यदि वे ऐसा करने का अनुरोध करें ।

29. भारतीय आयातक और विदेशी संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

30. भारतीय आयातक को आयात लाइसेंस से सम्बन्धित किसी एक मामले या सभी मामलों के सम्बन्ध में और स्वीडन के प्राधिकारियों

के साथ क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत सभी बाध्यताओं को पूर्ण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करना होगा।

31. इसमें निर्धारित किसी शर्त के किसी प्रकार उल्लंघन या भंग करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अधीन समुचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध-1

(दो प्रतियों में)

[कंडिका-21 (4)]

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
आई० ए० अनुभाग, सार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली

विषय :—भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1981 इसके अन्तर्गत आयात।

महोदय,

उपर्युक्त समझौते के अन्तर्गत .....
(माल अथवा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)
.....के आयात के संबंध में हम निम्नलिखित ब्यौरे भेजते हैं :—

(क) आयातक का नाम तथा पता

(ख) आयात लाइसेंस
(1) संख्या
(2) दिनांक
(3) अनराशि
(4) कब तक वैध है :—
(क) संविदा के लिए
(ख) पोतलदान के लिए

(ग) विदेशी संभरक का नाम तथा पता

(घ) संविदा का दिनांक
अथवा
आदेश के लिए संभरक के अंतिम अनुमोदन पत्र का दिनांक

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(च) संविदा का मूल्य

	विदेशी मुद्रा में	समतुल्य भारतीय रुपए में
जहाज पर निःशुल्क मूल्य		
भाड़ा		
बीमा		
जोड़		

(छ) संविदा में यथा निर्धारित संभरण की अनुसूचियों के आधार पर विभिन्न तिथियों जिनको उपकरण सदान किए जाएंगे अथवा सेवाएं निष्पादित की जाएंगी,

दिनांक	विदेशी मुद्रा में पोतलदान की मुद्रा

प्रत्येक सदान अथवा निष्पादित सेवाओं का मूल्य आधारित होगा।

(ज) वह तिथि जिसकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान करने होंगे :—

	दिनांक	विदेशी मुद्रा में राशि
(1) अग्रिम भुगतान के संबंध में		
(2) अन्य भुगतानों के संबंध में		

(झ) विदेशी मुद्रा में विनिमय में प्राधिकृत उस व्यापारी/बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से साखपत्र खोलने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी।

(ञ) उस विदेशी बैंकर का नाम और पूरा पता जिसके पास साखपत्र स्थापित किया जाएगा

2. संविदा की 4 प्रतियां अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र तथा संशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित प्रतियां तथा आयात लाइसेंस की दो फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

3. विदेशी संभरक का चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय जांच-पड़ताल के आधार पर किया गया है और प्राप्त किए गए आदेश का एक विवरण संलग्न है। माल स्वीडन मूल के हैं और विदेशी संभरक का माल के मूल उद्गम का प्रमाणपत्र संलग्न है।

4. आप से अनुरोध किया जाता है कि भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1981 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए संविदा अनुमोदित कराएं और उपर्युक्त संकेतित उनके बैंकर के माध्यम से संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करें।

भवदीय,
लाइसेंसधारी

अनुबंध-2

(कंडिका-22)

संख्या एफ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक
प्राधिकार पत्र संख्या-जीआई/एसआई.....

सेवा में,

(भारतीय बैंक)

विषय :— भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1981 के अन्तर्गत की गई संविदा सामान्य आयात/स्वीडन आयात सेगमेंट।

प्रिय महोदय,

सर्वश्री .....ने भारत-स्वीडन
(भारतीय आयातक)
विकास सहयोग समझौता, 1981 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस सं० या .....दिनांक.....मूल्य .....

के मद्दे .... रुपए की धनराशि लागत-बीमा-भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के लिए .... का संभरण करने के लिए सर्वश्री .... के साथ

(विदेशी संभरक)

संविदा कर ली है। संविदा की एक प्रति संलग्न की जाती है।

2. .... की धनराशि में से .... की धनराशि भारतीय मुद्रा में भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के रूप में चुकाई जानी है। इसलिए विदेशी मुद्रा में संभरक को चुकाई जाने वाली धनराशि जो कि स्वीडन क्रेडिट में से वित्तयुक्त की जाएगी वह .... की धनराशि होगी।

3. आपको सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर ....

(विदेशी संभरक)

के नाम में उसके बैंकर अर्थात् सर्वश्री .... के माध्यम से एक साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

4. साखपत्र खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारतीय आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस है।

5. मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के अध्याय-13-ख 8-के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि साखपत्र के समाप्त होने की तिथि संबद्ध आयात लाइसेंस में यथा अभिव्यक्ति पोतलदान के लिए अंतिम तिथि के बाद 75 दिनों से अधिक की नहीं है।

6. साखपत्र में यह भी व्यवस्था होगी कि सर्वश्री ....

(विदेशी बैंकर)

अपरक्राम्य पोतलदान वस्तावेजों के एक सेट की इस संबंध में सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा कि प्रत्येक भुगतान पूरा कर लिया गया है।

7. आपसे अनुरोध है कि भुगतान के तुरन्त बाद ही भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता दिनांक 15 मई, 1981 के अन्तर्गत आयात करने के लिए लाइसेंस शर्तों की कंडिका 25 के अनुसार विदेशी संभरक को प्रेषित धनराशि का विवरण दर्शाते हुए प्रपत्र "ए-1" की अतिरिक्त प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

8. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

अवर सचिव, भारत सरकार

1. संविदा की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को प्रेषित

2. बिना अनुलग्नक के प्रति निम्नलिखित को प्रेषित;

1. ....

(भारतीय आयातक)

2. ....

(विदेशी संभरक)

3. ....

(विदेशी बैंक)

यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक भुगतान पर भुगतान परामर्श के साथ पोत परिवहन तथा अन्य वस्तावेजों (अपरक्राम्य) का एक सेट सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (भारत) को भेजा जाए।

3. संविदा तथा आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक को।

4 रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, मुद्रा विनिमय विभाग, बम्बई।

अवर सचिव,
भारत सरकार

अनुबन्ध 3

(कंडिका-26)

आयातों के संबंध में अल्प अवतरण, क्षति आदि के लिए दावों के निपटान के मद्दे विदेशी संभरकों/पोतवणिकों/बीमा-कर्ताओं से प्राप्त धन वापसियों के ब्यौरों को दर्शाने वाली रिपोर्ट।

1. भारतीय आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. प्राधिकार पत्र की संख्या तथा दिनांक
5. प्राप्त की गई धन वापसी की राशि
6. उसकी किस्म और धनवापसी (संक्षिप्त ब्यौरा दें)
7. उस संबद्ध प्रपत्र "ए-1" के लिए संदर्भ जिसके अन्तर्गत विदेशी संभरकों को प्रारम्भिक भुगतान किया गया था। (वित्त मंत्रालय को प्रपत्र 'ए-1" भेजते समय भारतीय बैंक के नाम तथा उनके पत्र की संख्या तथा दिनांक का संकेत करें।
8. क्या प्राप्त धनवापसियो का प्रयोग माल की बदलाई के लिए किया जाना है या नहीं? यदि नहीं तो इस बात का सुनिश्चित कर लें कि विदेशी मुद्रा विनिमय के भीतरी प्रेषण द्वारा वास्तव में धनराशि प्राप्त कर ली गई है और इसे रुपए में भुना लिया गया है।
9. अन्य कोई आवश्यक ब्यौरे।

आयात करने वाली फर्म के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ता०

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 46-ITC(PN)/81

New Delhi, the 9th September, 1981

Import Trade Control

Subject : Licensing conditions in respect of Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1981.

F. No. 23(18)/81/IPC.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of imports of goods and services under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1981 as given in appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 46 ITC(PN)/81, dated the 9th September, 1981

PREAMBLE

Swedish Assistance under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1981, consists of two segments (i) general imports and (ii) imports from Sweden. In the case of the first segment, imports can be effected from anywhere in the world on the basis of competitive global tendering but in the case of the second segment, the imports can be effected or services can be obtained only from Sweden i.e. the goods must be manufactured in Sweden.

IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis, with an initial validity period of four months for contracting and twelve months for completion of shipments as well as payments. All shipments must be completed within a month from the expiry of the licence.

2. Each import licence will bear a superscription. "Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1981—General Imports or "Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1981—Imports from Sweden as the case may be, the suffixes in the licence code classification number will be "R|SW". These will also be repeated in the letter from the Chief Controller of Imports & Exports forwarding the import licence.

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (IA Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. The condition regarding contracting shall not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 21 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid.

6. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, wherein the reasons for not complying with the requirement in time should be stated. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond this period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs (IA Section).

CONTRACTING

7. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz. the Indian importer and the foreign supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance by the foreign supplier thereof in unequivocal terms. Orders on Indian Agents of the Overseas Suppliers and|or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

8. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending|revising the various provisions will not be generally accepted. In such cases, it is necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to and signed as such by both the parties.

9. Normally, one contract, on the basis of firm prices, has to be entered into with the foreign supplier for the whole amount of the licence. However, if, for special reasons, conclusion of more than one contract becomes necessary, prior permission of the Department of Economic Affairs should be obtained, giving reasons for doing so.

TERMS OF CONTRACT

General

10. The importers in the private sector are required to place the contracts on C.I.F. or C&F basis. They should clearly indicate F.O.B. price, insurance charges and freight separately.

Contract must be entered only on C&F basis, by a Government agency or a public sector undertaking.

If any importer desires to enter into a contract on f.o.b. basis, the party should seek prior permission of the Department of Economic Affairs, (IA Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

11. If any commission is to be paid to the Indian agents of the foreign supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agent's commission will be paid in India rupees but will be set off against the total value of the import licence.

12. The value of the contract should be expressed in the currency in which the payment is to be made to the foreign supplier. The conversion of these amounts into Rupees shall be made at the rates of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962, and prevailing on the date of issue of the import licence.

Value Limits of Contracts

13. The value of each contract should not be less than for an amount equivalent to Rupees seventy-five thousand (Rs. 75,000).

Origin of Goods

14. (i) In the case of the first segment, i.e. general imports segment, referred to in the preamble, imports can be made from any country without restriction and should, as far as practicable, be on the international competitive basis.

(ii) Under the second segment i.e. imports from Swedish referred to in the preamble, the goods should be manufactured in Sweden or the services to be rendered should be of Swedish origin. A stipulation as to the Swedish manufacturing of goods or Swedish origin of services shall be incorporated in the contract.

(iii) The licensee should, while submitting the contract documents referred to in para 21(iii) below, furnish a statement of the bids received and the reasons for selecting the particular supplier and goods.

Shipments

15. The contract should spell out delivery|shipping schedules in specific terms indicating the month of each such delivery|shipments, as closely as possible.

Any subsequent deviation from the shipping schedule should be promptly notified to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, IA Section, North Block, New Delhi.

Payment Terms

16. The Swedish assistance does not provide for deferred payments. Full payment will, therefore, be made to the foreign supplier in cash against shipments as indicated in the following paragraphs.

17. Advance Payments: An advance payment upto a maximum of 10 per cent of the FOB price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into force. In the case of any deviation in this regard, prior approval of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section) should be obtained.

18. Other payments : The amount left after the above payment will be payable pro-rata according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

19. It should specifically be ensured that the terms of payment, e.g. amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipments etc. are set out in precise terms in the contract with details showing the schedule of deliveries|payments etc.

Customary Guarantee

20. The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

Details of Contract Documents Required to be Submitted

21. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section), North Block, New Delhi.

(i) Four certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the foreign supplier.

(ii) Two photostat copies of the import licence (Exchange Control copy) valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by foreign supplier of the order placed by the importer.

(iii) Statement of bids mentioned in para 14(iii) above.

(iv) Other particulars stipulated in Annexure I, in duplicate.

The contract will be processed only after all these documents have been furnished by the importer.

Letter of Authority

22. If the contract is complete, the documents etc. are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1981, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue a letter of authority as in Annexure II.

Method of Payments

23. (i) Payment to the foreign suppliers is arranged through normal banking channels by establishing a letter of credit.

(ii) The Indian importer will establish a letter of credit only after the letter of authority referred to in the preceding paragraph has been issued by the Ministry of Finance; the letter of credit will strictly be in accordance with provisions of the letter of authority.

(iii) The authorised dealers in foreign exchange (Indian bankers) will not provide facilities for establishing a letter of credit to any Indian importer unless a letter of authority in this regard has been received by them direct from the Ministry of Finance and Indian banker will provide such facilities or allow remittances only in accordance with the instructions contained in such a letter of authority.

24. It will be responsibility of the foreign banker with whom the letter of credit has been established, to forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable invoices/shipping documents at the same time as the foreign banker forwards such sets of documents to the Indian Banker which opened the letter of credit. It is necessary for the Indian Bankers to include a provision to this effect in the letter of credit to be established by them. The fact, that one set of non-negotiable shipping document has been so forwarded will be noted down by the foreign bankers in the covering letter to the Indian Banker. The latter (Indian Banker) will check this point in particular before taking further action on the documents.

25. (i) The Indian importer will, at the time of arranging payments, fill in an additional copy of Form A1*, for being set by their Indian Banker direct to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, under advice to the importer as soon as the payment is made. The letter forwarding Form 'A1' as well as Form 'A1' shall indicate the credit and segment under which the import licence was issued

(ii) Both the Indian importer and Indian banker will ensure that all the requisite information is given correctly, fully and in specific terms against the relevant columns.

(iii) Form 'A1' will further bear the signature of the authorised officer of the Indian Banker and stamped with its Official seal.

Note : These arrangements do not absolve the licencee of his responsibility to ensure that all forms 'A1' are despatched promptly by his bank to the Ministry of Finance.

Refunds

26. If any refunds are received by the Indian importers from the foreign supplier or the insurer, a full report showing the amounts received, together with relevant particulars should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance in the form given in Annexure III.

Reporting of Actual Payments, etc., by the Indian Importers

27. The Indian importers should invariably report to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi as and when actual payments against individual contracts are made by them to the overseas suppliers. While reporting the payments, the importer should also indicate briefly the purposes to which the equipment imported against each contract has been/is being put to. These reports should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi within one week of the actual payments having been made.

MISCELLANEOUS

28. The goods imported under the licence should be used with due deligence and efficiency. For a minimum period of four years from the date of delivery of the goods imported under the licence, the importer shall (i) maintain all the relevant records necessary to identify such goods and their use, (ii) furnish or cause to be furnished to the Government of India such information as may be requested concerning the expenditure of the proceeds of the credit and the goods and services acquired out of such proceeds, and (iii) enable representatives of the Government of India and the Swedish International Development Authority to study the use of such goods and services if they so request.

29. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any, which may arise between the Indian importer and the foreign supplier.

30. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the grant agreement with the Swedish Authorities.

31. Any break or violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Export (Control) Act, 1947, and others issued hereunder.

ANNEXURE

(In duplicate)

[Para 21(iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
IA Section, North Block,
New Delhi.

Subject :—Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1981—Import under

Sir,

In connection with the import of———

(short description of the goods and services)

* Application form prescribed by the Reserve Bank of India for remittances.

under the above Agreement we furnish the following particulars:—

(a) Name and Address of Importer

(b) Import Licence ·

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(iv) Valid upto

(a) for contracting

(b) for shipment

(c) Number and address of the foreign supplier :

(d) Date of the contract;

or

Date of supplier's final letter of acceptance of the order.

(e) Short description of the goods to be imported ;

	In foreign currency	In equivalent Indian Rupees
(f) Value of the contract :		
FOB Price :		
Freight:		
Insurance :		
Total :		

	Date	Value of shipment in foreign currency
(g) the different dates on which the equipment will be shipped, or services performed, the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules as stipulated in the contract.		

	Date	Amount of foreign currency
(h) the date on which payments under the contrat will fall due		
(i) in respect of advanced payment		
(ii) other dayments.		

(i) Name and full address of the dealer/bank authorised in foreign exchange through whom arrangements for opening a letter of credit will be made

(j) Name and full address of foreign banker with whom, the leter of credit will be established.

2. Four certified copies of the contract or four copies each of the order and the letter of acceptance and of the amendment (if any), and two photostat copies of the import licence are enclosed

3. The selection of the foreign supplier has been made on the basis of international enquiry and a statement of the orders received is enclosed/The goods are of Swedish origin and a certificate of the origin of goods from the foreign supplier is attached.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the Indo-swedish Development Cooperation Agreement, 1981, and issue authorisation for payments to the suppliers through their bankers, mentioned above.

Yours faithfully,

(Licencee).

ANNEXURE II

(Para 22)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

LETTER OF AUTHORITY NO G.I./S.I.————

To

(Indian Banker)

Subject :—Contract entered under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1981—General Imports/ Swedish Import Segment.

Dear Sirs,

Messrs.————————————
(Indian Importer)
have entered into a contract with Messrs.————————
(Foreign supplier)
————————for the supply of————————
————————for the amount of————————
CIF/C&F under the Indo-Swedish Development Agreement, 1981 against Licence No.————dated————
issued thereunder for the value of Rs.————————.
A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of ———— an amount of————————is to be paid as Indian Agent's' Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed out of the Swedish Grant assistance will therefore amount to————————.

3. You are authorised to open a letter of credit for————————in favour of Messrs.————————
(foreign supplier)
————————through their bankers, viz.
Messrs.————————within a period
(foreign banker)
of thirty days from the date of this letter under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the Indian Importer is in possession of a valid import licence.

5. In terms of Chapter 13 B-8 of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than seventy five (75) days after the final date for shipment stated in the relative import licence

6 The Letter of Credit will also provide that Messrs————————will forward directly to the
(foreign banker)
Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents as each payment is made.

7 You are also requested to forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of

Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one additional copy of the Form 'A1' showing particulars of remittances made to the foreign supplier in terms of para 25 of the Licensing Condition for imports under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, dated 15th May, 1981 as soon as the payments are made.

8. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Under Secretary to the Govt. of India.

1. Copy with a copy of the contract forwarded to Reserve Bank of India, Exchange Control Department,————.

2. Copy without enclosure forwarded to:—

(i) ————————
(Indian Importer)
————————
————————

(ii) ————————
(Foreign Supplier)
————————
————————

(iii) ————————
(Foreign Bank)
————————

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) along with payment advice may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi (INDIA).

(iv) Controller of Aid Accounts and Audit with a copy of the contract and that of the import licence.

(v) Reserve Bank of India, Exchange Control Department Bombay.

Under Secretary to the Govt. of India.

ANNEXURE III

(Para 26)

Report showing Details of Refunds from Foreign Suppliers/ Shippers/Insurers towards Settlement of Claims for Short Landings, Damages, etc. in respect of Imports

1. Name of the Indian Importer.
2. No. and date of import licence.
3. Value of the import licence.
4. No. and date of Letter of Authority.
5. Amount of refund received.
6. Nature and refund. (give brief details)
7. Reference to the relative Forms 'A1' under which payment was made initially to the foreign suppliers (indicate name of the Indian banker and reference to their letter No. and date, forwarding form 'A' to Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods; if not confirm that amount has been actually received by inward remittance of foreign exchange and encashed into rupees.
9. Any other necessary particulars.

(Signature of the Authorised
Officer of the Importing Firm)

To

The Controller of Aid Accounts and Audit.
Ministry of Finance (Department of Economic Affairs),
UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981